


18.02.2026


लोक अभियोजक उपस्थित। अभियुक्तगण अश्विनी गौतम, देवकीनंदन गौतम उपस्थित। अधिवक्ता अभियुक्तगण श्री नरेन्द्र सिंह हाड़ा उपस्थित।

साक्ष्य में गवाह अनुपस्थित। गवाह संख्या 8,11 व 14 को जर्ने सम्मन तलब किया जावे। गवाहान के सम्मन पर लाल स्याही से नोट अंकित हो कि प्रकरण लक्षित प्रकरणों की सूची में शुमार है। गवाहान की तामील आवश्यक रूप से विशेष वाहक द्वारा कराई जावे। पत्रावली वास्ते साक्ष्य अभियोजन दिनांक 27.02.2026 को पेश हो।





203-2  
19/2/25

  
सत्यनारायण टेलर  
जिला एवं सेशन न्यायाधीश  
झारां (राज.)

# Order Sheet (subsequent)

राजस्थान राज्य बनाम अश्विनी गौतम वगै०

सेशन प्रकरण संख्या : 81/2023

Date

Order with initials of Presiding Officer

27.02.2026

लोक अभियोजक उपस्थित। अभियुक्तगण अश्विनी गौतम, देवकीनंदन गौतम उपस्थित। अधिवक्ता अभियुक्तगण श्री नरेन्द्र सिंह हाड़ा उपस्थित।

साक्ष्य में गवाह पी.डब्ल्यू. 12 शेरसिंह हैड कानिस्टेबल व गवाह पी.डब्ल्यू.13 कैलाशचंद एसआई के बयान लेखबद्ध किये गये। गवाह पी.डब्ल्यू.13 कैलाशचंद के बयान अधिवक्ता अभियुक्त के निवेदन पर डैफर किये गये। गवाह कैलाशचंद को आगामी पेशी हेतु पाबंद किया जाकर रूखसत किया गया। साक्ष्य के दौरान गवाह श्री शेरसिंह हैड कानिस्टेबल 898 पुलिसथाना कोतवाली बारां द्वारा प्रकरण से संबंधित असल मालखाना रजिस्टर व श्री कैलाशचंद एसआई पुलिसथाना कोतवाली बारां द्वारा हस्तगत प्रकरण में बतौर वजह सबूत जब्तशुदा एफएसएल की सील से सील्डशुदा माल प्रस्तुत किया गया। बाद बयान असल मालखाना रजिस्टर गवाह श्री शेरसिंह हैड कानिस्टेबल 898 पुलिसथाना कोतवाली बारां को तथा प्रस्तुतशुदा माल न्यायालय की सील से पुनः सील्ड किया जाकर श्री कैलाशचंद एसआई पुलिसथाना कोतवाली बारां को लौटाया गया, जिसकी रसीद आदेशिका पर ली गई।

गवाह संख्या 8 बावजूद सम्मन की बाद तामील अनुपस्थित। गवाह संख्या 8 को जरिये जमानती वारण्ट रूपये 2000/- से तलब किया जावे। तामील पर लाल स्याही से नोट अंकित हो कि प्रकरण लक्षित प्रकरणों की सूची में शुमार है, अंतिम गवाह शेष है, गवाह की तामील विशेष वाहक द्वारा आवश्यक रूप से कराई जावे।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य अभियोजन दिनांक 10.03.2026 को पेश

हो।

सत्यनारायण टेलर  
जिला एवं सेशन न्यायाधीश  
बारां (राज.)

*[Handwritten signatures and notes in the left margin, including names like 'श्री शेरसिंह हैड', 'कैलाशचंद', 'श्री शेरसिंह हैड', 'कैलाशचंद', 'श्री शेरसिंह हैड', 'कैलाशचंद', 'श्री शेरसिंह हैड', 'कैलाशचंद']*